परिपत्र संख्या 39/10

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)विधि/10/3326 दिनांकः 15-12-2010

परिपत्र

विषयः राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक)/कर बोर्ड के यहाँ रेफरेन्स/रिवीजन करने के संबंध में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-37, 51 व 53 के तहत उप पंजीयक द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ रेफरेन्स किया जाता है, जिसे राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम-64 से 67 के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाकर कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णित किया जाता है। इसी प्रकार कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णयों के विरूद्ध विभाग/पक्षकारों द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-65 के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में रिवीजन दायर की जाती है। कलक्टर (मुद्रांक) तथा माननीय कर बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णयों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेफरेन्स व रिवीजन दायर करने में कई बार गम्भीर लापरवाही बरती जाती है। अतः विभिन्न निर्णयों के पठनोपरान्त यह निर्देश दिये जाते हैं कि विभागीय परिपत्र संख्या 36/10 के बिन्दु संख्या-3 के अतिरिक्त रेफरेन्स/रिवीजन के साथ आवश्यक रिकार्ड के साथ निम्न दस्तावेज भी आवश्यक रूप से लगाये जावें :-

1. प्रकरण विशेष पर तत्समय लागू/प्रचलित डी.एल.सी.द्वारा निर्धारित दर का पूर्ण विवरण व आंशिक सत्यापित प्रति।
2. विस्तृत मौका निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें पंजीकृत दस्तावेज में उल्लेखित निर्माण, स्थिति का वर्णन हो और मौके पर पाये निर्माण व स्थिति का वर्णन हो तथा क्या अन्तर पाया गया यह सुस्पष्ट रूप से वर्णित हो। निरीक्षण रिपोर्ट पर निरीक्षणकर्ता और मौके के गवाहान का विवरण और हस्ताक्षर हों।
3. मौका निरीक्षण रैण्डम आधार पर किया गया है या शिकायत प्राप्त होने पर किया गया है या आडिट आक्षेप होने पर किया गया है, इसका स्पष्ट विवरण अंकित होना चाहिए।
4. अन्तर मुद्रांक शुल्क/पंजीयन शुल्क की स्पष्ट गणनाशीट होनी चाहिए व इसके आधार पर जारी नोटिस की तामीलशुदा प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

(हस्ताक्षर) 15/12

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)विधि/10/3327-3375 दिनांकः 15-12-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।

4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

15/12/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर